एन टी पी सी - सेल पावर कम्पनी लिमिटेड
(एन टी पी सी - सेल का संयुक्त उद्यम)

केन्द्रीय कार्यालय
CORPORATE CENTRE

NTPC-SAIL POWER COMPANY LIMITED
(A Joint Venture of NTPC & SAIL)

NORMS AND STANDARDS FOR MEDICAL FITNESS
स्वस्थता के लिए मानदंड और मानक

1.0 Good mental and bodily health and a strong constitution.

अच्छा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य और मजबूत शरीर ।

2.0 Free from physical defect or abnormality-congenital or acquired, likely to interfere with the efficient performance of duties.

शारीरिक त्रुटि अथवा असामान्यता- जन्मजात अथवा अधिग्रहित से मुक्त, जिससे सक्षम कर्त्तव्य निष्पादन में हस्तक्षेप करने की संभावना है ।

3.0 No evidence of maldevelopment-physical or mental

कुविकास-शारीरिक अथवा मानसिक का कोई साक्ष्य नहीं ।

4.0 Joints and locomotor functions are within normal limits.

जोड़ों और चलन अंगों के कार्य सामान्य सीमा के भीतर है ।

5.0 No deformity from old fractures or depressions of skull bones.

पुराने अस्थिभंग अथवा कपाल अस्थि के अवनमन से कोई विरुपता नहीं ।

6.0 **HEIGHT AND WEIGHT / लंबाई और वजन:**

6.1 **Height:** Measurement will be taken in centimeters with the individual standing bare footed and straight weight thrown on both heels kept together. Tendency to stand on toes or raise heels will be strictly avoided. The candidate will stand erect with chin drawn in to bring the vertex of the head in level under the horizontal bar of the stand and clavides, buttocks and shoulders touching the vertical portion of the stand with body fully relaxed and spine straight but not strained.

लम्बाई : व्यक्ति को नंगे पाँव खड़ा रहकर और दोनों एड़ियों को एक साथ रखकर सेंटीमीटर में माप लिया जाएगा । पंजों पर खड़े रहने अथवा एड़ियों को उठाने की प्रवृत्ति से सख्ती से बचा जाएगा । उम्मीदवार ठोढ़ी को सीधा रखते हुए सिर के शिरोबिंदु को स्टैंड के क्षितिजाकार छड़ के नीचे सतह में लाते हुए और नितम्ब तथा कंधों को स्टैंड के उर्ध्वाकार भाग में स्पर्श करते हुए और शरीर को ढीला छोड़ते हुए और मेरुदंड सीधा परंतु जोर नहीं डालकर खड़ा रहेगा ।

6.2 The table of standard weight for various groups is given below. Candidate not meeting the standard as given in the table below may be declared temporarily unfit for a maximum period of 21 days by CMO and shall be declared fit only in case the candidate fulfills the criteria including the norms for Body Mass Index.

विभिन्न समूहों के लिए मानक वजन की सारणी नीचे दी गई है । नीचे दी गई सारणी के मानकों को पूरा न करने वाले उम्मीदवारों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अस्थायी तौर पर अधिकतम 21 दिन के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है और उन्हें उसी स्थिति में योग्य घोषित किया जाएगा जब वे उम्मीदवार बॉडी मास इंडेक्स सहित मानदंड पूरा करें ।

Height - Weight Table for Males
पुरुषों हेतु लंबाई-वजन सारणी

Height (cm) लंबाई (सेंटीमीटर)	Weight in Kg at different ages विभिन्न आयु पर किलोग्राम में भार		
	20-24 years / वर्ष	25-29 years / वर्ष	30-34 years / वर्ष
152.5	48	49	50
155.0	49	50	51
157.5	50	51	52
160.0	51	52	53
162.5	52	53	54
165.0	53	54	56
167.0	54	56	58
170.0	56	58	60
172.5	58	60	62
175.0	60	62	64
177.0	62	64	66
180.0	64	66	68
183.0	66	68	70

6.3 Add 2 Kg in weight for every additional 3 cm in height

लंबाई में प्रत्येक अतिरिक्त 3 सेंटीमीटर के लिए वजन में 2 कि.ग्रा. जोड़ें ।

6.4 For females, the general state of physical development will be taken into account and body weight recorded in each case.

महिलाओं के लिए शारीरिक विकास की सामान्य अवस्था को ध्यान में रखा जाएगा और प्रत्येक मामले में शरीर का वजन दर्ज किया जाएगा।

6.5 The minimum height required for Drivers is 162 cm.

ड्राइवरों के लिए न्यूनतम आवश्यक लंबाई 162 सेंटीमीटर होगी ।

7.0 BODY MASS INDEX / बॉडी मास इंडेक्स:

In case the weight of an individual is found more than prescribed as per the height - weight table as indicated above then Body Mass Index (BMI) will be taken as deciding parameter as per the norms given below:

यदि किसी व्यक्ति का वजन उपर्युक्त लंबाई-वजन सारणी में निर्धारित वजन से अधिक होगा तो निम्नलिखित बॉडी मॉस इंडेक्स प्राचलों के अनुसार से निर्णय लिया जाएगा :

7.1 Age up to 35 years –BMI should be maximum of 30 Kg / m^2.

35 वर्ष की आयु तक - बीएमआरई अधिकतम 30 कि.ग्रा./ मी^{2} होगा ।

7.2 Age above 35 years BMI should be maximum of 32 Kg / m^2 .

35 वर्ष से ऊपर की आयु तक - बीएमआई अधिकतम 32 कि.ग्रा./ मी^{2} होगा ।

8.0 CHEST / सीना:

Acceptable chest measurement at full expiration will be 79 cm (relaxable by 5 cm) minimum expansion 5 cm. The range of expansion upto 4 cm. i.e. a deviation of 20% will be acceptable. This is not applicable to female candidates.

पूरी तरह निःश्वास सीने का स्वीकार्य माप 79 सेंटीमीटर होगा (5 सेंटीमीटर तक छूट) और न्यूनतम विस्तार 5 सेंटीमीटर होगा । 4 सेंटीमीटर तक के विस्तार की सीमा अर्थात् 20% का विपथन स्वीकार्य होगा । यह महिला उम्मीदवारों के लिए लागू नहीं है ।

Measurement: The candidate will stand with feet together and arms raised over the head. The tape will be taken round the chest horizontally with its upper edge touching interior angles of the shoulder blades. The arms will then be lowered to hang relaxed by the side of the body. The candidate will not be permitted to throw shoulders upwards or backwards so as to displace the tape. The candidate will be directed to take deep breath several times without causing contraction of chest muscles or wing out the shoulder blades. The maximum and minimum expansion of the Chest will then be recorded in centimeters thus 70-75, 78-84 etc. Fraction of cm below 0.5 will be ignored and over 0.5 taken as one.

मापन : उम्मीदवार पैरों को एक साथ रखते हुए और सिर के ऊपर बाहों को उठाकर खड़ा रहेगा । टेप क्षितिजाकार रूप में कंधों के भीतरी कोणों को स्पर्श करते हुए उसके ऊपरी सिरे सहित सीने के चारों और लिया जाएगा । बांहों को नीचे शरीर के दोनों तरफ आरामपूर्वक नीचे लटकने दिया जाएगा । उम्मीदवार को टेप को इधर-उधर करने के लिए कंधों को आगे-पीछे करने की अनुमति नहीं होगी । उम्मीदवार को सीने की मांसपेशियों में संकुचन किए अथवा पीछे फैलाए बिना कई बार गहरा श्वास लेने का निर्देश दिया जाएगा । सीने के अधिकतम और न्यूनतम विस्तार को तब सेंटीमीटरों अर्थात् 70-75, 78-84 आदि में दर्ज किया जाएगा । 0.5 से कम सेंटीमीटर के गुणकों को छोड़ दिया जाएगा और 0.5 से अधिक को एक सेंटीमीटर माना जाएगा ।

9.0 EYE / आँख:

Standards and procedures of examination in respect of visual acuity and colour perception are as follows.

दृश्यात्मक तीक्ष्णता और रंग अनुबोधन के संबंध में मानक और जांच की कार्यविधियां निम्नानुसार हैं :

9.1 The candidate's eyes will be tested and results of the test recorded in accordance with the following rules.

उम्मीदवार की आंख का परीक्षण किया जाएगा और परीक्षण के परिणामों को निम्नलिखित नियमों के अनुसार दर्ज किया जाएगा।

9.2 **General**: The candidate's eyes will be submitted to a general examination directed to the detection of any disease or abnormality. The candidate may be rejected if he suffers from morbid condition of eyes, eye-lids or contiguous structures of such a nature as would render him/her unfit for service at the time of appointment or at a future date.

सामान्य : उम्मीदवार की आंख की किसी रोग अथवा असामान्यता के लिए निर्देशित सामान्य जांच की जाएगी । उम्मीदवार को अस्वीकृत किया जा सकता है अगर वह आंखों, पलकों की विकृति से अथवा ऐसी प्रकृति के संस्पर्शी संरचना से पीड़ित है जो उसे नियुक्ति के समय अथवा भावी तारीख को सेवा के लिए अयोग्य ठहराएगा ।

9.3 **Visual Acuity / दृश्यात्मक तीक्ष्णता:**

9.3.1 The examination for determining the acuity of vision includes two tests, one for distant, the other for near vision. Each will be examined separately.

दृष्टि की तीक्ष्णता निर्धारित करने के लिए जांच में दो परीक्षण शामिल हैं, एक दूरी और दूसरा समीप की दृश्यता के लिए । प्रत्येक की अलग-अलग जाँच की जाएगी ।

9.3.2 Standard of visual acuity for personnel of various categories, with or without glasses will be as follows:

विभिन्न श्रेणियों के कार्मिकों के लिए दृश्यात्मक तीक्ष्णता चश्मे सहित अथवा रहित निम्नानुसार होगी :

Categories of Employees कार्मिकों की श्रेणी	Age आयु	**Distant Vision दूर की दृष्टि**		**Near Vision निकट की दृष्टि**	
		Better eye बेहतर आँख	Worse eye खराब आँख	Better eye बेहतर आँख	Worse eye खराब आँख
For Employees in E1 and above grade ई1 और उससे ऊपर के कर्मचारियों के लिए	Below 35 yrs. of age 35 वर्ष से कम आयु	6/9	6/9	Sn. 0.6	Sn. 0.6
		6/6	6/12	-	-
	35 yrs. of age and above 35 वर्ष और उससे अधिक आयु	6/12	6/12	Sn. 0.8	Sn. 0.8
		6/9	6/18	-	-
Others (except security & Fire Services) अन्य (सुरक्षा और अग्निशमन सेवा को छोड़कर)	Below 35 yrs. of age 35 वर्ष से कम आयु	6/9	6/12	Sn. 0.8	Sn. 0.6
		6/6	6/18	-	-
		6/18	6/18	-	-
	35 yrs. of age and above 35 वर्ष और उससे अधिक आयु	6/12	6/24	Sn. 0.8	Sn. 0.8
		6/12	6/18	-	-
		6/24	6/24	-	-
		6/18	6/36	-	-

9.4 **Fundus Examination / फंडस की जाँच:**

9.4.1 In every case of Myopia, fundus examination should be carried out and the results recorded. In the event of a pathological condition being present which is likely to be progressive and affect efficiency of the candidate he/she should be declared unfit.

निकटदृष्टि के प्रत्येक मामले में फंडस की जांच की जानी चाहिए और परिणाम दर्ज किया जाना चाहिए । रोगात्मक दशा मौजूद होने की दशा में, जिसके प्रगामी होने और उम्मीदवार की क्षमता को प्रभावित करने की संभावना है, उसे अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए ।

9.4.2 The total amount of myopia (including the cylinder) shall not exceed - 6.00 D. The total amount of hyper metropia (including the cylinder) shall not exceed + 6.00D. in each eye

निकटदृष्टि की पूर्ण मात्रा (सिलिंडर सहित) -6.00डी से अधिक नहीं होगी । दूरदृष्टि की कुल मात्रा (सिलिंडर सहित) प्रत्येक आँख में +6.00डी से अधिक नहीं होगी ।

9.4.3 Fundus and media should be healthy and within normal limits.

फंडस और माध्यम स्वस्थ और सामान्य सीमा के भीतर होने चाहिए ।

9.4.4 No degenerative signs of vitreous or chorioretinitis to be present, suggesting progressive myopia.

प्रगामी निकटदृष्टि होने वाले वायरस अथवा कोरियोरेटिनाइटिस के अपभ्रष्ट संकेत मौजूद नहीं हैं ।

9.4.5 Should have good binocular vision, fusion faculty and full field of vision in both the eyes.

अच्छी द्विनेत्री दृष्टि, संयोजन शक्ति और दोनों आंखों में दृष्टि का पूर्ण क्षेत्र होना चाहिए ।

9.4.6 There should be no organic disease likely to cause exacerbations or deterioration.

संभावित रूप में उग्रता अथवा विकृति का कारण बनने वाला कोई आंगिक रोग नहीं होना चाहिए ।

9.5 **Colour vision / वर्ण दृष्टि:**

The testing of colour vision shall be essential for all candidates. Colour vision shall be tested with Ishihara's Isochromatic plates in good light.

वर्ण दृष्टि का परीक्षण सभी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है । वर्ण दृष्टि का परीक्षण अच्छी रोशनी में इशीहारा आइसोक्रोमेटिक प्लेट से किया जाएगा ।

9.6 **Field of vision / दृष्टि क्षेत्र:**

The field of vision shall be tested by the confrontation method. Where such test gives unsatisfactory or doubtful results, the field of vision should be determined on the visual field screener/perimeter.

दृष्टि के क्षेत्र का परीक्षण कन्फ्रंटेशन विधि से किया जाएगा । जहां ऐसा परीक्षण असंतोषजनक अथवा संदेहास्पद परिणाम देता है, वहां दृष्टि क्षेत्र का निर्धारण दृश्यात्मक क्षेत्र स्क्रीनर/पेरिमीटर पर किया जाना चाहिए ।

9.7 Ocular conditions other than visual acuity.

दृश्यात्मक तीक्ष्णता के अतिरिक्त नेत्र दशाएं ।

9.8 **Colour Blindness / वर्णान्धता:**

9.8.1 **Permissible** : This will not be a disqualification for employment in purchase, sales accounts, ministerial (clerical and Store Keepers), canteen peons, sweepers, apprentices covered by Apprentices Act and any other category wherein defective colour vision is not likely to interfere with his work or create risk for others working with him.

अनुमेय : यह क्रय, बिक्री लेखा, अनुसचिवालीय (लिपिकीय और स्टोर कीपर), कैंटीन के चपरासियों, सफाईवालों, शिशिक्षु अधिनियम द्वारा शामिल शिशिक्षुओं और अन्य किसी श्रेणी, जिसमें त्रुटिपूर्ण वर्णांधता का उसके कार्य में हस्तक्षेप करना अथवा उसके साथ कार्यरत अन्य लोगों के लिए जोखिम सृजित करना संभावित नहीं है, में रोजगार के अयोग्यता नहीं होगी ।

9.8.2 **Not permissible / अननुमेय:**

Colour blindness is a disqualification for the following:
वर्णांधता निम्नलिखित के लिए अयोग्यता है :

a. Industrial staff dealing with machines involving recognition of colored signals.

क. रंगीन संकेतों को पहचानना शामिल होने वाली मशीनों पर कार्य करने वाले औद्योगिक कर्मचारी ।

b. Technicians engaged in Laboratory work and chemists.

ख. प्रयोगशाला कार्य में संलग्न तकनीशियन और रसायनज्ञ ।

c. Crane operators and Pointsmen

ग. क्रेन ऑपरेटर और प्वाइंट्समैन

d. Draughtsmen

घ. ड्राफ्टसमैन

e. Electricians

ड. इलेक्ट्रिशियन

f. Scientific Assistants

च. वैज्ञानिक सहायक

g. Drivers of all categories

छ. सभी श्रेणियों के ड्राइवर

h. Security Personnel

ज. सुरक्षा कार्मिक

i. Doctors

झ. चिकित्सक

j. Engineering Executive Trainees

ञ. इंजीनियरी कार्यपालक प्रशिक्षणार्थी

k. Engineering equipment erection and O&M.

ट. इंजीनियरी उपस्कर उत्पाथन और प्रचालन तथा अनुरक्षण

l. Other occupations where perception of colour is considered essential in view of the nature of duties of the offered post and future posts likely to be occupied by the candidate either on appointment on promotion or on job rotation / transfer.

ठ. अन्य व्यवसाय, जहां प्रस्तावित पद और / या पदोन्नति की नियुक्ति अथवा कार्य अंतरण/स्थानांतरण पर उम्मीदवार द्वारा धारित किए जाने वाले संभावित भावी पदों के कर्त्तव्य की प्रकृति के दृष्टिगत वर्ण अवबोधन अनिवार्य माना जाता है ।

9.8.3 Whenever an employee suffering from colour blindness is posted or transferred into a category wherein colour perception is required his eyes will be re-examined for the same along with the examination for visual acuity.

जब भी वर्णांधता से पीड़ित कर्मचारी ऐसी श्रेणी में पदस्थापित अथवा स्थानांतरित किया जाता है, जहां वर्ण अवबोधन अपेक्षित है, तब आंखों की दृश्यात्मक तीक्ष्णता के लिए जाँच सहित उसके लिए दुबारा जाँच की जाएगी ।

9.9 **Night Blindness / रतौंधी:**

The medical officer will have the discretion to improvise such test e.g. recording of visual acuity with reduced illumination or by making the candidate recognise various objects in a dark room after he/she has been there for 20 to 30 minutes. Candidate's own statements should not always be relied upon, but they should be given due consideration.

चिकित्सा अधिकारी को ऐसे परीक्षणों को तत्काल करने अर्थात दृश्यात्मक तीक्ष्णता को कम प्रकाश में दर्ज करने अथवा अंधेरे कमरे में उम्मीदवार के 20 से 30 मिनट रहने के बाद विभिन्न वस्तुओं को पहचानने के लिए परीक्षण करने का विवेकाधिकार होगा । उम्मीदवार के बयान पर सदैव विश्वास नहीं करना चाहिए परंतु उन पर विधिवत ध्यान देना चाहिए ।

9.10 Any organic disease or a progressive refractive error which is likely to result in lowering of the visual acuity shall be considered as disqualification.

दृश्यात्मक तीक्ष्णता को कम करने वाले संभावित किसी भी बीमारी अथवा अपवर्तक त्रुटि को अयोग्यता माना जाएगा ।

9.11 **Trachoma / रोहा:**

Trachoma, unless complicated shall not ordinarily be a cause for disqualification.

जब तक जटिल नहीं हो रोहा को साधारणतया अयोग्यता का कारण माना जाएगा ।

9.12 **Squint / भेंगापन:**

For technical services skilled jobs, where the presence of binocular vision is essential, squint, even if the visual acuity is of the prescribed standards should be considered as disqualification. For other services, the presence of squint should not be considered as a disqualification if the visual acuity of each eye is of the prescribed standard.

तकनीकी सेवाओं, कुशल कार्यों के लिए, जहां दूरदर्शी दृष्टि की उपस्थिति अनिवार्य हैं, भेंगापन, यहां तक कि दृश्यात्मक तीक्ष्णता निर्धारित मानक की है, को अयोग्यता माना जाना चाहिए । अन्य सेवाओं के लिए, भेंगेपन की उपस्थिति को अयोग्यता नहीं माना जाना चाहिए अगर प्रत्येक आंख की दृश्यात्मक तीक्ष्णता निर्धारित मानक की है ।

9.13 **One eyed person / काना व्यक्ति:**

For regular service one eyed individual shall be considered as unfit except for ministerial and allied jobs where binocular vision is not considered essential. It will be ensured that the prognosis or the functioning eye is good and its vision is not likely to be endangered by the condition of the worse eye and the prescribed visual acuity standards are fully satisfied.

नियमित सेवा के लिए काने व्यक्ति को अनुसचिवीय और सम्बद्ध कार्यों, जहां दूरदर्शी दृष्टि अनिवार्य नहीं मानी जाती, को छोड़कर अयोग्य माना जाएगा । यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पूर्वानुमान करने अथवा कार्यरत आँख अच्छी है और उसकी दृष्टि खराब आंख की दशा द्वारा खतरे में पड़ने की संभावना नहीं है और निर्धारित दृश्यात्मक तीक्ष्णता के मानक पूरे किए जाते हैं।

9.14 **Contact Lenses / कंटैक्ट लेंस:**

Correction with contact lenses is no bar for employment provided the prescribed standards are fulfilled.
कंटेक्स लेंसों से सुधार रोजगार में कोई बाधा नहीं है बशर्ते कि निर्धारित मानक पूरे किए जाते हैं ।

10.0 EAR / कान:

A candidate should be free from any active disease of the ear. The candidate should be able to whispering voice separately in both the ears at a distance of 2 feet in a quiet room. A candidate who fails in this test will be declared medically unfit.

उम्मीदवार को कान की किसी सक्रिय बीमारी से मुक्त होना चाहिए । उम्मीदवार को एक शांत कमरे में 2 फुट की दूरी पर दोनों कानों से अलग-अलग फुसफुसाने की आवाज सुनने योग्य होना चाहिए । उम्मीदवार, जो इस परीक्षण में विफल रहता है उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा ।

Procedure for hearing test : The examining medical officer will test the hearing standards of a candidate in a quiet room. The test will be carried out with the medical officer and the candidate standing at a distance of 20ft, from each other. Both the ear will be examined separately. The ear not being tested will be marked by a masking apparatus or by rubbing a piece of paper against pinne by an attendant. The candidate will face at right angles the examining medical officer with the ear under examination facing him. He will use the whispering voice (whisper produced with the residual air i.e. after an ordinary expiration). The hearing will be considered normal if the candidate can reproduce the whisper. Those with perforated ear drum will not be accepted as cooks.

श्रवण परीक्षण के लिए कार्यविधि : जाँचकर्ता चिकित्सा अधिकारी एक शांत कमरे में उम्मीदवार के श्रवण मानकों का परीक्षण करेगा । यह परीक्षण चिकित्सा अधिकारी और उम्मीदवार को एक-दूसरे से 20 फुट की दूरे पर खड़े रहकर किया जाएगा । दोनों कानों की अलग-अलग जाँच की जाएगी । जिस कान का परीक्षण नहीं किया जा रहा है, उसे एक मास्क लगाने वाले उपकरण द्वारा अथवा परिचारक द्वारा कागज के टुकड़े को पिन पर रगड़कर चिह्नित किया जाएगा । उम्मीदवार परीक्षण किए जाने वाले कान को चिकित्सा अधिकारी के

सामने रखते हुए उसके समकोण पर खड़ा होगा । वह फुसफुसाहट की आवाज का प्रयोग करेगा (फुसफुसाहट अवशिष्ट वायु से अर्थात् सामान्य निःश्वास के बाद उत्पन्न होती है) । श्रवण को सामान्य समझा जाएगा अगर उम्मीदवार पुनः फुसफुसाहट उत्पन्न कर सकता है । कान के छिद्रित परदे वालों को बावर्ची के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

11.0 NOSE / नाक :

A candidate should be free from any active disease of nose.

उम्मीदवार की नाक को किसी सक्रिय बीमारी से मुक्त होना चाहिए ।

12.0 THROAT / गला:

State of tonsils-Slight hypertrophy without evidence of repeated tonsillitis is not a cause for rejection. Enlarged tonsils cause temporary unfitness until treated with tonsiliectomy. Throat, palate, gums, jaws, temporo-mandibular joint and dentitions should be within normal limits.

टॉंसिल की दशा-पुनरावृत्त टॉंसिलाइटिस के साक्ष्य के बिना हल्की अतिवृद्धि अस्वीकृति का कारण नहीं है। बढ़ा हुआ टॉंसिल अस्थायी अस्वस्थता के कारण है जब तक उसका उपचार टॉंसिलेक्टॉमी से नहीं किया जाता । गला, तालू, मसूढ़े, जबड़े, टेम्पोरो-मेंडीबुलर जोड़ और दंतत्भेद सामान्य सीमा के भीतर होना चाहिए ।

13.0 BLOOD-PRESSURE (BP) / रक्त चाप (बी पी):

The normal limits of blood pressure, without involvement of target organ, shall be assessed as follows:

लक्षित अंग को शामिल किए बिना रक्त चाप की सामान्य सीमा का आकलन निम्नानुसार किया जाएगाः

Age Group **आयु वर्ग**	**Systolic** **प्रकुंचक**	**Diastolic** **प्रसारक**
Upto 35 years of age 35 वर्ष की आयु तक	Not exceeding 140 140 से अधिक नहीं	90 mm or below 90 मि.मी. या कम
Beyond 35 years of age 35 वर्ष से ऊपर आयु	Not exceeding 150 150 से अधिक नहीं	100 mm or below 100 मि.मी. या कम

14.0 ECG / ईसीजी:

If resting ECG is abnormal then the individual shall be submitted for exercise tolerance test (TMT) and if TMT is positive the individual will be declared unfit.

यदि शांत बैठे रहने पर ईसीजी असामान्य हो तो व्यक्ति को सहनशक्ति परीक्षण (टीएमटी) किया जाएगा और यदि टीएमटी पॉजीटिव हो तो उम्मीदवार अयोग्य घोषित कर दिया जाए ।

15.0 GENITO URINARY SYSTEM ETC / जनन मूत्रीय प्रणाली आदि:

15.1 Testicles: Individuals detected to be having undecended testicles on one or both sides shall be declared temporarily unfit for maximum period of 21 days. Fitness can only be granted if the candidate reports back with orchidectomy with negative biopsy report for malignance, with 21 days of medical examination.

अंड-ग्रंथि : जिन व्यक्तियों की एक या दोनों अंड-ग्रंथियाँ ऊपर चढ़ी हुई हों, उन्हें अधिक से अधिक 21 दिन की अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा । उपयुक्तता उसी स्थिति में प्रदान की जाएगी जब उम्मीदवार चिकित्सा जाँच के 21 दिन के भीतर उपयुक्तता की दृष्टि से नकारात्मक बायोप्सी सहित आर्चिडेक्टॉमी प्रस्तुत करे ।

15.2 Candidates with Hydrocele, piles, varicocele and hernia shall be declared temporarily unfit for a maximum period of 21 days during which period candidate will have to undergo definitive treatment.

हाइड्रोसील, बवासीर, वेरीकोकल और हार्निया से पीड़ित उम्मीदवारों को अस्थायी तौर पर 21 दिन के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा । इस अवधि के दौरान उम्मीदवार को पक्का इलाज कराना होगा ।

16.0 GLANDS / ग्रंथि:

Thyroid should be normal with no evidence of hypo or hyperthyroidism or generalised enlargement of lymphglands. Scars, if any, of the previous removal of tubercular glands should be normal and there must not have been any active disease in the last five year.

थाइरॉयड अति अथवा हाइपरथायरोडिज्म अथवा लिम्फग्रंथि के सामान्यीकृत बढ़ोत्तरी के साक्ष्य सहित सामान्य होना चाहिए । पिछले ट्यूबरकुलर ग्रंथियों को हटाने के निशान अगर कोई हो, को सामान्य होना चाहिए और पिछले पाँच वर्षों में कोई सक्रिय बीमारी नहीं हुई हो।

17.0 URINE / मूत्र:

Non orthostalic albunimuria will be a cause for rejection.

गैर-ऑर्थोस्टेलिक एल्युनिमुरिया अस्वीकृति का कारण होगा ।

18.0 BLOOD SUGAR / ब्लड शुगर:

18.1 All candidates with type-1 diabetes will be declared unfit irrespective of age.

टाइप-I मधुमेह (डायबिटीज) से पीड़ित सभी उम्मीदवार अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे, भले ही उनकी आयु कुछ भी हो ।

18.2 Up to 35 years of age all the individuals detected to be having diabetes will be declared unfit.

35 वर्ष तक की आयु के मधुमेह (डायबिटीज) से पीड़ित पाए गए सभी व्यक्ति अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे ।

18.3 Individual above 35 years of age detected to be having type-II diabetes, without organ involvement, shall be declared temporarily unfit for maximum period of 21 days during which their blood sugar has to be within normal limit otherwise they will be declared unfit.

35 वर्ष से अधिक आयु के आर्गन इनवाल्वमेंट रहित टाइप-II मधुमेह (डायबिटीज) से पीड़ित पाए गए व्यक्ति को अस्थायी तौर पर 21 दिनों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इस अवधि के दौरान उनका ब्लड शुगर सामान्य सीमा में आ जाना चाहिए अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाए ।

18.4 All diabetics with any of target organ involvement shall be made unfit irrespective of age.

किसी भी टार्गेट आर्गन इनवाल्वमेंट से युक्त मधुमेह (डायबिटीज) से पीड़ित सभी व्यक्तियों को अयोग्य माना जाएगा, भले ही उनकी आयु कुछ भी हो

19.0 RADIOLOGICAL EXAMINATION / विकिरण वैज्ञानिक जाँच:

Skiagram chest of all fresh entrants will be taken. Mass miniature radiography will be utilised in lieu, whenever available. Cases diagnosed as suffering from pulmonary tuberculosis will be declared unfit. Such candidates are considered to be unsuitable for employment in view of the industrial hazards.

सभी नए प्रवेशकर्ताओं का वक्ष स्कायग्राम किया जाएगा । जहां भी उपलब्ध हो इसके बदले समूह लघुचित्र रेडियाग्राफी का उपयोग किया जाएगा । फुप्फसीयं यक्ष्मा से पीड़ित होने के निदान किए गए मामलों को अयोग्य घोषित किया जाएगा । ऐसे उम्मदवारों को औद्योगिक खतरों के दृष्टिगत रोजगार के लिए अनुपयुक्त माना जाएगा ।

20.0 VENEREAL DISEASE / रतिज रोग:

Candidates who are suffering from venereal disease will not be declared fit unless detailed examination of urethro smear and serological test proves negative.

उम्मीदवार, जो रतिज रोग से पीड़ित है, को तब तक योग्य घोषित नहीं किया जाएगा जब तक यूरोप्रोस्मियर और सेरेलॉजिकल परीक्षण की विस्तृत जाँच नकारात्मक सिद्ध नहीं होती ।

21.0 PREGNANCY / गर्भावस्था:

If at the time of medical examination, a candidate is pregnant of 12 weeks or more, she shall be declared temporarily unfit until she has completed six week after confinement.

यदि चिकित्सा जाँच के समय कोई उम्मीदवार 12 सप्ताह या उससे अधिक समय से गर्भवती हो तो वह प्रसूति समय के छह सप्ताह बीतने तक अस्थायी तौर पर अयोग्य घोषित रहेगी ।

22.0 SKIN DISEASE / चर्म रोग:

Candidate suffering form leprosy or chronic and inveterate skin conditions will be declared unfit. Vitiligo cases are acceptable.

कुष्ठ अथवा पुराने चिरकालिक चर्म दशा से पीड़ित उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जाएगा, विटिलिगो मामले स्वीकार्य होंगे ।

23.0 FITS / मूर्च्छा का दौरा:

Candidates suffering from epilepsy will be declared unfit. Those suffering from epileptic attacks are dangerous in certain occupations like Drivers, Crane Operators, Mechanists, Fire brigade, Security duties and shop floor jobs where moving machinery may cause risk to life if they suffer from a fit in the vicinity.

मिरगी से पीड़ित उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जाएगा । मिरगी के दौरे आने से पीड़ित व्यक्ति ड्राइवर, क्रेन, ऑपरेटर, मशीनिस्ट, अग्निशमन सेवा, सुरक्षा कार्य और शॉप फ्लोर कार्यों जैसे कतिपय व्यवसायों में खतरा पहुंचने की आशा होती है, जहां चलती हुई मशीनें जीवन को जोखिम पहुंचा सकती हैं अगर वे मूर्च्छा आने से पीड़ित है ।

24.0 MISCELLANEOUS / विविध:

Signs of mental retardation, incontinence of urine or enuresis, at the time of pre-employment examination will declare candidate unfit for employment.

रोजगार-पूर्व जाँच के समय मानसिक मंदता, मूत्र का असंयम अथवा असंयत मूत्रस्राव के चिह्न रोजगार के लिए उम्मीदवार को अयोग्ण् घोषित करेंगे ।

25.0 DEFECTS / त्रुटियां :

Congenital or acquired physical defects, if any noticed, will be recorded on the medical examination form with a clear opinion as to whether it is likely to interfere with the efficient performance of the duties for which the candidate is under consideration for employment. The norms and standards shall however be further relaxed for ***Physically Challenged*** candidates as per government guidelines.

जन्मजात अथवा अधिग्राहित शारीरिक त्रुटियां, अगर कोई देखी गई, को स्वास्थ्य परीक्षा प्रपत्र पर स्पष्ट राय के साथ दर्ज किया जाएगा कि क्या इससे उन कार्यों, जिसके लिए उम्मीदवार रोजगार के विचाराधीन है, के सक्षम निष्पादन में हस्तक्षेप करने की संभावना है या नहीं । सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को मानकों और स्तरों में और छूट दी जाएगी ।